न्यायालय श्री अखिलेश प्रताप सिंह, न्या0 दण्डा0, प्र0 श्रे0, दाउदनगर ।

जी0आर0नं0:–582 / 2022

हसपुरा थाना कांड संख्या :–150 / 2022

07.10.2022 उक्त वाद में जप्त ट्रैक्टर निवंधन सं0–BR26GA2151 एवं टेलर निवंधन सं0–BR26GA2662 के स्वामी की ओर से उक्त वाहन को मुक्ति हेतु, उपस्थिति पत्र एवं शक्ति पत्र के साथ एक आवेदन दाखिल किया गया, जिसकी प्रति विद्वान अभियोजन पदाधिकारी को दी गई ।

वाद पुकार पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता उपरोक्त आवेदन के आलोक में निवेदन करते है कि उपरोक्त वाहन से सम्बन्धित प्रतिवेदन की मॉग थाना से किया जाय।

सुना । अभिलेख का अवलोकन किया । उक्त वाद के अनुसंधानक को निर्देश दिया जाता है कि उक्त वाहन का स्वामी का नाम, चालक का नाम, निवंधन संख्या, चेसिस संख्या एवं इंजन संख्या से सम्बन्धित प्रतिवेदन के साथ इस आशय का प्रतिवेदन दिनांक–12.10.2022 तक समर्पित करें कि उक्त वाहन की आवश्यकता अनुसंधान के दौरान है या नही । कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि उक्त आदेश की छायाप्रति सम्बन्धित थाना प्रभारी को भेंजे ।

प्र0 न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, दाउदनगर ।